

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, उपहार या अन्यथा अर्जित अनुज्ञा के लिए आवेदन

- 1 सोसाइटी का नाम तथा पूरा पता
- 2 सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख
- 3 अर्जित की जाने वाली/क्रय की जाने वाली/ उपहार दी जाने वाली/ अंतरित की जाने वाली/ बेची जाने वाली या अन्यथा स्थावर संपत्ति का पूरा विवरण
- 4 सोसाइटी के प्रयोजन से भिन्न संपत्ति के क्रय/ विक्रय या अन्यथा अंतरण के कारण अथवा उद्देश्य
- 5 सोसाइटी के कार्यकारी निकाय के सम्मिलन की तारीख जिसमें कि विक्रय/क्रय या अंतरित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
- 6 स्थावर संपत्ति के क्रय, विक्रय या अंतरण आदि की अनुज्ञा के लिएरु. की फीस चालान क्र. दिनांक द्वारा जमा की गई है जिसकी मूल प्रति संलग्न है

हम, सोसाइटी के प्राधिकृत अधिकारी एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि :-

- (1) हम अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यकारी निकाय के पदाधिकारी हैं, उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित है तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (2) इस बात का समुचित रूप से सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रेता अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखता है।
- (3) उक्त संपत्ति का क्रय/विक्रय प्रतिषिद्ध नहीं है, यदि क्रय/विक्रय के लिए किसी प्राधिकरण की अनुज्ञा आवश्यक है तो यह हमारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- (4) सोसाइटी द्वारा संपत्ति क्लर्क के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार क्रय/ विक्रय की जाएगी। यदि हमारे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड के दायी होंगे।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

नाम नाम

अध्यक्ष सचिव